

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

C.C.A. अपीलवाद सं0-82/2024

मो0 रज्जाक

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

07.06.2024

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता - उपस्थित।


प्रस्तुत C.C.A. अपीलवाद, न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा C.C.A. वाद संख्या-45/2024 में दिनांक 18.03.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना।


अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता को सुनने से यह स्पष्ट है कि जिला दण्डाधिकारी, सिवान का आदेश दिनांक 06.06.2024 तक ही प्रभावी रहा है। वर्तमान में उनका आदेश प्रभावहीन (infructuous) हो चुका है। ऐसी स्थिति में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रस्तुत वाद को चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

तदनुसार, वाद की कार्रवाई को समाप्त करते हुए वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित



आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।



आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।